(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1547–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–6–2015 पारित द्वारा कलेक्टर आगर–मालवा म0प्र0 प्रकरण कमांक 2/स्व0 निगरानी/2014–15.

जाकीर खां पिता गुलाम हक्कानी
निवासी पटेल वाड़ी आगर जिला
आगर–मालवा म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला आगर म0प्र0

———अनावेदक

– – – – – –

श्री अखलाक कुरैशी अभिभाषक, आवेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 14 अगस्त 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर आगर–मालवा के आदेश दिनांक 12–6–2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता जाकीरखां ने कलेक्टर आगर–मालवा को एक आवेदन आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने बावत पेश किया। कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 2/स्व0 निगरानी/2014–15 में अंतरिम आदेश दिनांक 12–6–2015 के द्वारा आवेदक का पक्षकार बनाये बावत आवेदन निरस्त

किया। कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानीकर्ता अभिभाषक ने तर्क दिया कि कस्बा आगर ग्वालियर स्टेट का एक गांव था जहां पर जमीदारी प्रथाए प्रचलित थी इस गांव का या इस भूमि का अंतिम जमीदार छितराखां नामक व्यक्ति था। छितरखां का देहांत हो चुका है। छितराखां के तीन पुत्र गुलाम रब्बानी, गुलाम जिलानी, गुलाम हक्कानी थे। तीनों का देहांत हो चुका है। आवेदक गुलाम हक्कानी का पुत्र है तथा आवेदक का वादग्रस्त सम्पत्ति में स्वत्व निहित है। कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जिसमें मृतक गुलाम हक्कानी की पत्नी तथा आवेदक की मां अनीसा बी व बडे भाई मोहम्मद इरफान को पक्षकार बनाया पर जानबूझकर आवेदक का नाम उक्त प्रकरण में छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में आवेदक ने आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जिसे कलेक्टर ने निरस्त करने में त्रुटि की है।

4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में कलेक्टर के आदेश का अवलोकन किया। आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। कलेक्टर के समक्ष दिनांक 07–4–2015 को आवेदक जाकीर खां पिता गुलाम हक्कानी ने आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने बावत पेश किया, जिसे कलेक्टर ने दिनांक 12–6–2015 को आवेदक को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिए बिना संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार प्रतिवेदन के अवलोकन के आधार पर निरस्त किया है। कलेक्टर ने प्रकरण में आवेदक की मां एवं बडे भाई को पक्षकार बनाया है और आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया है। यदि गुलाम हक्कानी के वारिस पत्नी एवं बडा पुत्र हितबद्ध पक्षकर हो सकता है तब छोटा पुत्र किस प्रकार हितबद्ध पक्षकार नहीं है इसका कोई स्पष्ट कारण कलेक्टर ने अपने आदेश में नहीं दिया है। अतः कलेक्टर आगर का आदेश दिनांक 12–6–15

का आदेश इस अंश तक निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक जाकीर खां को गुलाम हक्कानी के पुत्र होने के सम्बन्ध में साक्ष्य, पक्ष समर्थन का अवसर देकर आदेश 1 नियम 10 के आवेदन पर पुनः विचार कर उचित एवं सकारण निर्णय लें। प्रकरण इस निर्देश के साथ समाप्त किया जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर